

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
2/24	53,188 RTA	घट्टा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
भंवरलाल	बनाम	रामसुख	

वकील :- भंवर सिंह जादोन **आदेश पत्रक** वकील:-
दिनांक कार्यवाही एवं आदेश

9-01-24 अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTA दिवस प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.1.24 को पेश हो।

21.1.24 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/4/24 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

रामसुख
सौम्य भोगा
मुसालास

15-4-24 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22-5-24 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

27⁵/4 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23-7-24 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

23-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 340 प्रतिवादी 110 की ओर से श्री योगेश कुमार गालव पंचकेंद्र का पत्रावली पेश हुआ जो 210 कि 0 किमा गणत पत्रावली वाले अवक दिनांक 11.9.24 को पेश हो।

11-9-24 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/9/24 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

30.10.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 3.12.24 को पेश हो।

aw
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा (बारा)

3.12.24

~~पत्रावली पेश हुई। वरुण कुमार पारीकेत उपखण्ड
जनान पेश नहीं हुआ। कारण यह है कि पत्रावली
काटि जनान दिनांक 13.1.25 को पेश हो~~

13.1.25

पत्रावली पेश हुई। वरुण कुमार पारीकेत उपखण्ड/वकील
प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाना नहीं गाहे है।
Not press करना चाहते हैं। प्रकरण Not press
के स्वारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाल शुमार होकर
साखिल सलर हो।

Not press
aw